सं. 184] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2004/अग्रहायण 12, 1926
No. 184] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2004/AGRAHAYANA 12, 1926

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 29 नवम्बर, 2004

सं० टीएएमपी/78/2003-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, आरसीएचडब्ल्यू श्रमिकों को भुगतान किए गए वेतन बकाया की जहाजी कुलियों स्टीवेडोर्स से वसूली के लिए वर्तमान लेवी में संशोधन हेतु एनएमपीटी से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी /78/2003 -एनएमपीटी

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास .... आवेदक

आदेश

(नवम्बर 2004 के 18 वें दिन पारित)

यह प्रकरण पंजीकृत कार्गो प्रहस्तन श्रमिकों आरसीएचडब्ल्यू को 1 जनवरी 1998 से 31 अगस्त 2000 तक की अवधि के लिए भुगतान किए गए वेतन बकाया की जहाजी श्रमिकों (स्टीवेडोर्स) से वसूली के लिए वर्तमान लेवी में संशोधन के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1. एनएमपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए हैं:

(i) न्यू मैंगलोर पोर्ट कार्गो हैंडलिंग वर्कर्स (रेग्यूलेशन एम्प्लायमैंट) स्कीम 1990 की धारा 24 के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों / कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और प्रोत्साहन की वसूली स्टीवेडोर्स से की जानी है ।

(ii) 1 जनवरी 1998 (पिछले प्रभाव से) लागू वेतन संशोधन का पालन करते हुए पत्तन ने आरसीएचडब्ल्यू के संशोधित वेतन, भत्ते और प्रोत्साहन, स्टीवेडोर्स से, सितम्बर 2000 और इसके आगे से वसूल किए थे । 1 जनवरी 1998 से 31 अगस्त 2000 तक की अवधि के लिए वेतनादि के बकाया का हालांकि भुगतान कर दिया गया है किन्तु इनकी स्टीवेडोर्स से अभी तक वसूली नहीं हो पाई है ।

(iii) सांविधिक लेखा परीक्षा ने इस बिन्दु पर आपत्ति उठाई है । तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय ने इस लेखा परीक्षा आपत्ति की जांच करने पर पत्तन को निदेश दिया था कि वह स्टीवेडोर्स से वेतनादि का बकाया वसूल करे ।

(iv) 1 जनवरी 1998 से अगस्त 2000 तक की अवधि के लिए स्टीवेडरों से वसूला जाने वाला अन्तरीय वेतन (डिफरैन्शियल वेजेज) 1.97 करोड़ रुपये था । (बाद में, भुगतान किए गए बकाया की ठीक-ठीक राशि रु. 1,97,47,611.60 बताई गई है)।

(v) जब तक 1.97 करोड़ रुपयों के अंतर की वसूली नहीं हो जाती तब तक सामान्य कार्गो और बल्क कार्गो के लिए (कन्टेनर कार्गो को छोड़कर) बुक किए गए सभी गैंगों पर वर्तमान लेवी को 5% बढ़ाने का प्रस्ताव किया है ।

(vi) जैसाकि कन्टेनर-यातायात अभी आरम्भिक अवस्था में है, एक विशेष मामले के रूप में, कन्टेनर प्रहस्तन पर लेवी में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

(vii) कन्टेनर प्रहस्तन के अलावा सामान्य कार्गो और बल्क कार्गो के लिए आरसीएवडब्ल्यू के जरिए बुक किए गए सभी गैंगों पर वर्तमान लेवी और प्रस्तावित लेवी सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	वर्तमान संबंधित श्रमिक के मूल वेतन पर लेवी की प्रतिशतता %	प्रस्तावित संबंधित श्रमिक के मूल वेतन पर लेवी का %
(i).	8 या उससे अधिक हैच श्रमिकों वाले गैंग और उनके अनुरूप कार्गो उतारने/चढ़ाने के लिए तटीय गैंग	200%	210%
(ii).	8 से कम हैच श्रमिकों वाले अन्य सभी गैंग और उनके अनुरूप तटीय गैंग	250%	263%
(iii)	पारगमन शैड, स्टैक यार्ड, ओपन स्टैकयार्ड इत्यादि से (सामान) उतारना जैसे सभी अन्य पत्तन में कार्गो प्रहस्तन प्रचालन	250%	263%

(viii) प्रस्ताव को एनएमपीटी के न्यासी मंडल ने 1 सितम्बर 2003 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी और लेवी अनन्तिम रूप से 1 अक्तूबर 2003 से एकत्रित की जा रही है । इसलिए, इसने प्रस्ताव को पिछले प्रभाव 1 अक्तूबर 2003 से अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है ।

(ix) यह संशोधन केवल एक अस्थाई व्यवस्था है और एक बार समुचित अवधि के (वेतनादि के) बकाया स्टीवेडरों से पूरी तरह वसूल हो जाए तो यह व्यवस्था बंद हो जाएगी ।

3.1. इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति संबंधित उपयोगकर्त्ताओं / पत्तन उपयोगकर्त्ताओं के प्रतिनिधि निकायों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजी गई थी ।

3.2. उपरोक्त उपयोगकर्त्ताओं से प्राप्त टिप्पणियां एनएमपीटी को प्रतिपूरक सूचना के रूप में भेज दी गई थीं ।

4.1. प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच पड़ताल के आधार पर, एनएमपीटी से विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । एनएमपीटी से अनुरोध किया था कि वह सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई प्रेक्षाओं की एक प्रति और इस विषय में तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय से प्राप्त पत्र की एक प्रति भेजे । अन्य सूचनाएँ मांगने के साथ-साथ एनएमपीटी से अनरोध किया गया था कि वह इस बात की जाँच करे कि क्या इस देयता की पूर्ति संचित कोषों / निधियों से की जा सकती है और वह, इसे मूल प्रशुल्क में विलय करे बिना अलग से विशेष दर प्रस्तावित करे ।

4.2. एनएमपीटी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया है । एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई समुचित सूचना में कुछ संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

(i) आरसीएचडब्ल्यू स्कंध के संदर्भ से, स्टीवेडरों से जनवरी 1998 से अगस्त 2000 तक अवधि के लिए वेतनादि के बकाया की गैर-वसूली के विषय में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई प्रेक्षाओं की एक प्रति और इस मामले में कार्रवाई करने के लिए पत्तन को परामर्श देने वाले, तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी पत्र की प्रतियाँ प्रस्तुत कर दी गई हैं ।

(ii) आरसीएचडब्ल्यू की संचित निधि / अतिरिक्त धन राशि और ब्याज की आय जनवरी 1998 से अगस्त 2000 तक अवधि के लिए आरसीएचडब्ल्यू श्रमिकों को वेतनादि का बकाया चुकाने के लिए उपलब्ध नहीं है । प्रस्तुत की गई स्थिति दिखाती है कि यह गतिविधि, अधिकतर, अन्य गतिविधियों से प्राप्त आर्थिक सहायता(क्रॉस सब्सिडी) पर निर्भर है ।

(iii) सम्पूर्ण बकाया राशि की वसूली करने के लिए आवश्यक समय-सीमा दर्शाई नहीं जा सकती क्योंकि यह यातायात की मात्रा पर निर्भर करेगा । तथापि उसने यह आश्वासन दिया है कि स्टीवेडरों से बढ़ी हुई लेवी एकत्रित करने के नियमित प्रबोधन के लिए एक यंत्रणा / प्रणाली होगी ताकि जैसे ही इस पूरी राशि का संग्रहपूर्ण होता है वैसे ही इस व्यवस्था को रोक दिया जाए ।

(iv) लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक (आर्थिक एव सेवा मंत्रालय) द्वारा, एक समुचित समय सीमा में स्टीवेडरों से वेतनादि के बकाया की वसूली को तेज करने के लिए अन्य मार्गों की खोज करने के लिए दिए गए एक अन्य सुझाव के अनुपालन में स्टीवेडरों और सी एंड एफ एजेन्टों के साथ विचार विमर्श किया गया था । तब वे प्रचलित लेवी में पहले प्रस्तावित 5% की वृद्धि की तुलना में इस वृद्धि को 7.5% करने के लिए सहमत हो गए थे ।

तदनुसार, आरसीएचडब्ल्यू स्कंध के माध्यम से बुक किए गए सभी गैंगों पर संशोधित लेवी निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

क्रम सं.	विवरण	संबंधित श्रमिकों के मूल वेतन पर प्रस्तावित संशोधित प्रतिशतता %
(i).	8 या उससे अधिक हैच श्रमिकों वाले गैंग और उनके अनुरूप कार्गो उतारने/चढ़ाने के लिए तटीय गैंग	215%
(ii).	8 से कम हैच श्रमिकों वाले अन्य सभी गैंग और उनके अनुरूप तटीय गैंग	270%
(iii)	पारगमन शैड, स्टैक यार्ड, ओपन स्टैकयार्ड इत्यादि से (सामान) उतारना जैसे सभी अन्य पत्तन में कार्गो प्रहस्तन प्रचालन	270%

न्यासी मंडल ने 28 मई 2004 को हुई अपनी बैठक में संशोधित लेवी को, अनन्तिम रूप से, 1 जून 2004 से 1.97 करोड़ रुपयों की वसूली पूरी होने तक अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी ।

(v) इस परिप्रेक्ष्य में, इसने अनुरोध किया है कि पूर्ववर्ती प्रस्तावित लेवी को पिछले प्रभाव 1.10.2003 से प्रभावी किया जाए और प्रस्तावित संशोधित लेवी को, पत्तन द्वारा दरों के अनन्तिम कार्यान्वयन के अनुरूप 1.6.2004 से स्वीकृति प्रदान की जाए ।

5. इस प्रकरण में एक संयुक्त सुनवाई 8 सितम्बर 2004 को एनएमपीटी परिसर में आयोजित की गई थी । इस संयुक्त सुनवाई में एनएमपीटी और उपभोक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे ।

6. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रियाएँ इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेख में उपलब्ध हैं । प्राप्त टिप्पणियों और पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सारांश सम्बद्ध पक्षों को अलग से भेजा जाएगा । ये विवरण हमारे वैबसाइट www.tariffauthority.org पर उपलब्ध हैं ।

7. इस प्रकरण पर कार्रवाई के दौरान एकत्रित सूचनाओं की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थित उभरती है:

(i) यह प्रस्ताव, पंजीकृत कार्गो प्रहस्तन श्रमिकों (आरसीएचडब्ल्यू) को 1 जनवरी 1998 से 31 अगस्त 2000 तक भुगतान किए गए वेतनादि के बकाया की स्टीवेडरों से गैर-वसूली के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है । यह ध्यान देने योग्य है कि पत्तन और गोदी श्रमिकों के लिए 1 जनवरी 1998 से लागू होने वाला वेतन समझौता प्रमुख पत्तन न्यासों में वर्ष 2000 में क्रियान्वित किया गया था । इस मद में एनएमपीटी के सम्बद्ध श्रमिकों को भुगतान किए गए बकाया की राशि 1.97 करोड़ रुपये होती है । तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय ने, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्ति के संदर्भ में, पत्तन को कार्रवाई आरम्भ करने की सलाह दी है ।

(ii) एनएमपीटी को वर्तमान लेवी-संरचना को इस प्राधिकरण द्वारा 1 नवम्बर 2003 के भावी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया गया था । वास्तव में संशोधित वेतन संरचना के मद्दे नजर लेवी की उस समय प्रचलित दरें 1 नवम्बर 2000 से कम की गई थीं । इस संशोधित वेतन संरचना ने वह आधार बढ़ा दिया है जिस पर लेवी लगाई गई थी । पत्तन ने 1 जनवरी 1998 से 31 अक्तूबर 2000 तक संशोधित बिल बनाने के लिए प्रस्ताव नहीं किया था । किन्तु यह अब, लेखा परीक्षा की प्रेक्षाओं / आपत्तियों की दृष्टि से, वेतनादि के बकाया की वसूली का प्रस्ताव करता है ।

(iii) इस प्राधिकरण ने पहले ही यह निर्णय लिया हुआ है कि प्रशुल्क निर्धारण के समय, वेतन / पेंशन के बकाया, स्वेच्छया सेवा निवृत्ति योजना संबंधी क्षतिपूर्ति और पिछली देनदारी के लिए पेंशन निधि में अंशदान जैसे एक बार के व्यय, ग्राह्य लागत के रूप में अनुमत नहीं होंगे । यदि यह पाया जाता है कि संचित अतिरिक्त राशियाँ / कोष पर्याप्त रूप से उनको नहीं समेट सकते या किसी अन्य समुचित कारण से, इस तरह की देनदारियों को निबटाने के लिए एक सीमित अवधि के लिए विशेष दर निर्धारित की जाए । यह सिद्धांत कोलकाता पत्तन न्यास में वेतन और पेंशन के बकाया की वसूली के लिए और मुंबई पत्तन न्यास में सुपरवाइज़री कर्मचारियों आदि से संबंधित वेतन बकाया की देनदारियां भुगतने के लिए अपनाया गया है । तूतिकोरिन पत्तन न्यास में भी एक विशेषदर पूंजीगत तलकर्षण के लिए प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋण की सेवा करने के लिए लगाई गई थी ।

प्रस्तुत की गई एक विशिष्ट शंका के उत्तर में एनएमपीटी ने बताया कि संचित कोष / अतिरिक्त राशियाँ, आरसीएचडब्ल्यू पर ब्याज इस देनदारी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है । ध्यान देने योग्य बात है कि आरसीएचडब्ल्यू, एनएमपीटी में एक अलग गतिविधि है और बड़े पैमाने पर अन्य गतिविधियों से प्राप्त आर्थिक सहायता पर निर्भर करता है । इसलिए पिछली संचयित, बचाकर रखी हुई कमाई का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता । ऐसी स्थिति में, अन्य महापत्तनों में पहले से लागू किए गए सिद्धांत के अनुरूप यह प्राधिकरण, वेतनादि बकाया की देनदारियाँ निबटाने के लिए एक विशेष दर निर्धारित करने के लिए प्रवृत्त है । यह विशेष दर, मूल लेवी में सम्मिलित किए बिना प्रशुल्क की एक अलग मद होगी ।

(iv) एनएमपीटी ने वर्तमान लेवी में 1 अक्तूबर 2003 में 5% और 1 जून 2004 से 7.5% बढ़ाने का प्रस्ताव किया है । लेवी में यह वृद्धि केवल सामान्य कार्गो और बल्क कार्गो के लिए है । पत्तन ने यह वृद्धि कन्टेनरों के विषय में प्रस्तावित नहीं की है क्योंकि कन्टेनर-यातायात अभी अपनी बढ़वार के शैशव में ही है । एसोसिएशन ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्ट स्टीवेडोर्स और कनारा चैम्बर ऑफ कामर्स अंड इंडस्ट्री को एनएमपीटी के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है । चूंकि यह एक परस्पर सहमति वाला प्रस्ताव है, यह प्राधिकरण

एनएमपीटी के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए प्रवृत्त है । जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, प्रशुल्क में एक मुश्त देनदारी के स्थायी हो जाने की संभावना से बचने के लिए इस वृद्धि को वर्तमान लेवी संरचना में नहीं दिया जाना चाहिए । विशेष दर, सामान्य कार्गो और बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए लगाए गए आरसीएचडब्ल्यू (श्रमिकों) के मूल वेतनादि पर लगाया जाना चाहिए । सामान्य लेवी में एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित वृद्धि की मात्रा विशेष दर निर्धारित करने के लिए कायम रखी गई है ।

(v) एनएमपीटी ने बताया है कि इसने वर्तमान लेवी में प्रस्तावित 5% की वृद्धि को 1 अक्तूबर 2003 से अनन्तिम रूप से लागू कर दिया है । तत्पश्चात, वसूली प्रक्रिया को तेज करने के लिए लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक की सलाह को ध्यान में रखते हुए लेवी को इसके पहले प्रस्तावित स्तर 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है । संशोधित पत्तन द्वारा 1 जून 2004 से लागू कर दी गई है ।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त किए बिना अनन्तिम दर निर्धारित की पत्तन के पास कोई सांविधिक शक्तियाँ नहीं है । पत्तन ने ऐसी कोई भी असाधारण स्थिति नहीं स्पष्ट की है जिसके कारण उसे, इस प्राधिकरण की स्वीकृति लिए बिना, 5% की प्रस्तावित वृद्धि 1 अक्तूबर 2003 से लागू करने की आवश्यकता महसूस है । अपने ही स्तर पर अनन्तिम दर लगाने की एनएमपीटी की कार्रवाई एक गंभीर कमी है जो, प्राधिकरण से पूर्व व्यापी प्रभाव से अनु समर्थन मांगकर सुधारा जाना है । इस प्रकरण में एनएचपीटी की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है ।

पत्तन ने हमारे कुछ प्रश्नों की ओर ध्यान देने और अपने रिकार्ड में सरलता से उपलब्ध कुछ सूचनाएँ प्रस्तुत करने में लगभग 7 माह की असाधारण देरी कर दी । हो सकता है अनन्तिम दर के प्रचालन में आ जाने के कारण, इस प्रकरण को यथाशीघ्र निपटाने की (पत्तन की) आतुरता ठंडी पड़ गई हो. । चूंकि अनन्तिम प्रभार एनएमपीटी द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं और उपयोगकर्त्ताओं को भी इस व्यवस्था के पर कोई आपत्ति नहीं है, यह प्राधिकरण पूर्व व्यापी प्रभाव से अनुमोदन के लिए एनएमपीटी के प्रस्ताव को स्वीकार करता है ।

पिछले प्रभाव से प्रदत्त स्वीकृति को एनएमपीटी द्वारा की गई इस कार्रवाई का अनुसमर्थन न मान लिया जाए । एनएमपीटी को सख्त हिदायत दी जाती है कि जब तक विशेष रूप से स्वीकृत न की जाए या इस प्राधिकरण द्वारा इसके लिए शक्ति न प्रदान की जाए तब तक वह अपनी तरफ से कोई प्रशुल्क व्यवस्था लागू न करे । एनएमपीटी द्वारा की गई चूक को इस बार तो क्षमा किया जाता है किन्तु ऐसा (अनधिकृत) कार्रवाई को गंभीरता से लिया जा सकता था । हम प्रभारों की वसूली के लिए सहमत होने से इन्कार कर सकते थे ।

(vi) एनएमपीटी से यह अपेक्षा है कि वह वसूली के प्रबोधन के लिए इस विशेष दर की मद में एक अलग खाता कायम करे और वसूली पूरी होते ही लेवी को रोक दे । जैसाकि एनएमपीटी ने बढी हुई दर से लेवी की वसूली लागू कर दी है तो उसे अभी तक इस मद में एकत्रित राशि और भविष्य में एकत्रित की जाने वाली राशि इस अलग खाते में अन्तरित कर देनी चाहिए । पत्तन द्वारा रु. 1,97,47,611.60 की देनदारी एक बार पूरी तरह से वसूल हो जाने पर विशेष लगाने के लिए दी गई स्वीकृति अपने आप समाप्त हो जाएगी । एनएमपीटी को सलाह दी जाती है कि वह प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में इस प्राधिकरण को इस विशेष दर से एकत्रित किए गए धन की मात्रा सूचित करता रहे ।

(vii) इस प्राधिकरण द्वारा वर्तमान लेवी संरचना को 31 जनवरी 2002 तक वैध स्वीकृत किया गया था । एनएमपीटी ने वर्तमान लेवी को विस्तार प्रदान करने के लिए अनेक बार अनुरोध किया किन्तु लेवी संरचना की व्यापक समीक्षा के लिए (पत्तन की ओर से) अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

एनएमपीटी को ऐसा एक प्रस्ताव अधिकतम 31 मार्च 2005 तक प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है ।

8. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एनएमपीटी के दरमान के अध्याय VIII- रजिस्टर्ड कार्गो हैंडलिंग विंग / पंजीकृत कार्गो प्रहस्तन स्कंध के लेवी प्रभार के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची शामिल करने की अनुमति प्रदान करता है:

आरसीएचडब्ल्यू के माध्यम से बुक किए गए संबंधित श्रमिक के मूल वेतन पर प्रतिशतता के रूप में विशेष लेवी की अधिकतम दरें

क्रम सं.	विवरण	1 अक्तूबर 2003 से 31 मई 2004 तक की अवधि के लिए	1 जून 2004 से आगे प्रभावी
(i).	8 या उससे अधिक हैच श्रमिकों वाले गैंगों और कार्गो उतारने/चढ़ाने के लिएउनके अनुरूप तटीय गैंग	10%	15%
(ii).	8 से कम हैच श्रमिकों वाले अन्य सभी गैंग और उनके अनुरूप तटीय गैंग	13%	20%
(iii)	पारगमन शैड, स्टैक यार्ड, ओपन स्टैकयार्ड इत्यादि से (सामान) उतारना जैसे सभी अन्य पत्तन में कार्गो प्रहस्तन प्रचालन	13%	20%

नोट :

(i) ऊपर निर्धारित की गई विशेष लेवी, कंटेनर प्रहस्तन के अलावा सामान्य कार्गो और बल्क कार्गो के लिए आरसीएचडब्ल्यू श्रमिकों को लगाए जाने वाली सामान्य लेवी के अलावा वसूली जायेगी ।

(ii) एक बार वेतनादि के बकाया की रु. 1,97,47,611.60 की देनदारी इस लेवी के जरिए पत्तन द्वारा पूरी तरह से वसूल हो जाने पर यह विशेष दर प्रचालन-रत रहने से अपने आप रुक जाएगी ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/04-असाधारण]